मध्यप्रदेश विधान सभा

सितम्बर, 1992 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 11 सितम्बर, 1992 (भाद्र 20, 1914)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री रामहित गुप्त,वित्त मंत्री, म.प्र. हस्तशिल्प विकास निगम भोपाल का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन एंव लेखे वर्ष 1984-85 का प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री विश्वंभरनाथ पाण्डे, रामलखन शर्मा, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम क्योंटी में डकैती पड़ने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डा. रमेश, सदस्य, नर्मदा सागर परियोजना कार्यों को बढ़ी दरों से कराने से शासन को होने वाली हानि की ओर नर्मदा घाटी विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री मनीष कुंजाम, सदस्य, बस्तर जिले के सुकमा परियोजना क्षेत्रांतर्गत एक राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस द्वारा मारपीट के संबंध में राज्य मंत्री, गृह का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री चौधरी राकेश सिंह, प्रकाश जैन, सदस्य, सागर जिले के बड़ा थानान्तर्गत अवैध शराब पकड़े जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, दुर्ग जिले के छावनी थाने में पुलिस की पिटाई से एक व्यक्ति की मृत्यु होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के गोहद में एक व्यक्ति की हत्या किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री पुरनसिंह पलैया, सदस्य, ग्वालियर स्थित जेसी मिल में तालाबंदी से उत्पन्न स्थिति की ओर श्रम राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम लालौर में एक ही परिवार के तीन व्यक्तियों की हत्या किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्रीमती रश्मि देवी सिंह, श्री रवीन्द्र चौबे, श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य राजनांदगांव जिले में वनों की अवैध कटाई किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री अनूपसिंह मरावी, सभापति याचिका समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) ठाकुर दरबारसिंह, सदस्य लोकलेखा समिति का एक सौ बयालीसवां, एक सौ तीरतालीसवां, एक सौ चवालीसवां तथा एक सौ पैंतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री भागचंद सोगानी, सभापति विशेषाधिकार समिति का चतुर्थ एवं पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"विधान सभा के दिसम्बर 1991 सत्र से लंबित समिति के समक्ष विशेषाधिकार भंग की चार विचाराधीन सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये."

(4) डा. सुधन्वा सिंह नेताम, सभापति प्राक्कलन समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

निम्नांकित सदस्य पृथक वितरित पत्रक में दर्शाये अनुसार याचिकायें प्रस्तुत करेंगे -

सर्वश्री मदन गोपाल सिंह,रमाकान्त तिवारी, कृष्णालाल जायसवाल, जगन्नाथ यादव, रामसिंह धुर्वे, कन्हैयालाल ढोलेकर, कुन्दन सिंह, राम खिलावन सिंह तथा श्रीमती रानी दुबे.

निर्धारित समय 4 घन्टे

6. मंत्रि-परिषद् पर अविश्वास का प्रस्ताव (क्रमशः)

(1) श्री श्यामाचरण शुक्ल, नेता प्रतिपक्ष, श्री रामानंद सिंह, श्री जगदंबा प्रसाद निगम, श्री विश्वंभर पाण्डे, श्री गजराज सिंह, डा. गोविन्द सिंह, ठा. दरबार सिंह, सदस्य निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन श्री सुन्दरलाल पटवा के नेतृत्व मे गठित मंत्री परिषद् के प्रति अविश्वास प्रकट करता है."

7. विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों पर विचार एवं स्वीकृति

श्री भागचन्द सोगानी, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -
"यह सदन आज दिनांक 11 सितम्बर 1992 को प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ एवं पंचम प्रतिवेदनों पर विचार कर उन्हे स्वीकार करे."

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व की चर्चा

तेंदू पत्ते व्यापार में गैर वाणिज्यिक कार्य पद्धति के कारण शासन व मजदूरों को हो रही हानि के संबंध में श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

9. नियम 142-क के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व की चर्चा

मध्यप्रदेश में विद्युत उत्पादन एंव प्रदाय नीति में परिवर्तन किए जाने से उत्पन्न विद्युत संकट के संबंध में श्री जालम सिंह पटेल, कु. कल्याणी पाण्डेय, श्री गजराज सिंह सिकरवार, डा. गोविन्द सिंह, श्री रामानंद सिंह,श्री रविन्द्र चौबे, श्री ताराचन्द साहू एवं श्री जगदीश प्रसाद वर्मा, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

10. अशासकीय संकल्प

निर्धारित समय

15 मि. (1) डा. रमेश, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
"सदन का यह मत है कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने एवं विकास हेतु उक्त क्षेत्र में प्रादेशिक परिषद की स्थापना की अनुशंसा की जाय."

25 मि. (2) श्री झुमुकलाल भेंडिया, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
"सदन का यह मत है कि प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र के राजस्व ग्रामों के पारे/टोलों को राजस्व ग्राम घोषित कर शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य और विद्युतीकरण की समुचित नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराई जाय."

25 मि. (3) श्री चन्द्रशेखर साहू, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
"इस सदन का मत है कि सूचना पाने के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित करने हेतु यह सदन केन्द्र से अनुशंसा करता है."

15 मि. (4) श्री धीरेन्द्र सिंह धीरू, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
"सदन का यह मत है कि प्रदेश के प्राथमिक शाला से हाईस्कूल के शिक्षकों की स्थानीय पदस्थी से हटाकर जिले में कही अन्यत्र करने हेतु शासन कार्यवाही करें."

15 मि. (5) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
"सदन का मत है कि प्रदेश की अवैध आवासी कालोनीज को समझौता शुल्क लेकर वैध करने हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही की जाय."

25 मि. (6) श्री सुरेश सेठ, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि दो बच्चों से अधिक बच्चे होने पर रोक लगाने हेतु तत्काल कानून बनायें जिसमें सांसद, विधायक, राज्य सभा सदस्य, नगर पालिका निगम के पार्षदों, पंचायत सदस्य आदि निर्वाचित सदस्यों पर भी ऐसा परिवार नियोजन कानून समान रूप से लागू हो ."

11. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

(1) दिनांक 2 सितंबर 1992 को जेलमंत्री से पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्रमांक 63) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री रामानंद सिंह, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 3 सितंबर 1992 को राज्य मंत्री, आवास एवं पर्यावरण से पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 48 (क्रमांक 663) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री रामनाथ सिंह, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 10 सितम्बर, 1992

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा